भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 637

04 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

सैनिक स्कूल

637. श्री निहाल चन्द चौहान :
श्री सुरेश पुजारी :
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :
श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' :
इंजीनियर गुमान सिंह दामोर :
श्रीमती जसकौर मीना :
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :
श्री बसंत कुमार पंडा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सैनिक स्कूलों की कुल संख्या के साथ-साथ इन स्कूलों के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में सौ नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए स्थानों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित धनराशि के साथ-साथ इस तरह की पहचान और नए स्कूल खोलने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या झारखंड के बरगढ़ और झारसुगुड़ा, राजस्थान के श्री गंगानगर, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात, गुजरात और ओडिशा के कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित देश के विभिन्न कम विकसित आदिवासी और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से दाहोद निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोलने के लिए गुजरात राज्य सरकार को कोई पत्र भेजा गया है या भेजने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): सैनिक स्कूल के उद्देश्य हैं:-

i. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए कैडेट्स को शैक्षणिक, शारीरिक और 'मानसिक' रूप से तैयार करना ।

ii. रक्षा सेवाओं के अधिकारी संवर्ग में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना ।

iii. शरीर, मस्तिष्क और चरित्र के गुणों का विकास करना, जिससे आज के युवा कैडेट भविष्य के उत्तम और उपयोगी नागरिक बन सके ।

iv. निजी विद्यालयों की शिक्षा को आम आदमी की पहुंच में लाना ।

<u>मुख्य विशेषताएं</u>

(i) सैनिक स्कूलों को निजी विद्यालय की तर्ज पर संचालित किया जाता है, जिनका एक समान पाठ्यक्रम होता है और वे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्ध होते हैं । उत्तम चरित्र, दल भावना, कर्तव्यनिष्ठा, देश भक्ति से परिपूर्ण दृष्टिकोण, और देश की कुशलतापूर्वक सेवा की इच्छा के विकास करते हुए सैनिक विद्यालय विद्यार्थियों को ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/नौसैनिक अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए भी शैक्षणिक रूप तैयार करते हैं ।

(ii) विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं, तथापि दाखिले के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक नहीं है ।

(iii) शैक्षणिक उन्नति के अतिरिक्त विद्यार्थियों को क्रियाकलाप और समाजोपयोगी उत्पादन कार्य के माध्यम से उनकी रचनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । उन्हें सभी प्रमुख खेलों से भी व्यवस्थित ढंग से परिचित कराया जाता है और एनसीसी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है ।

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सैनिक विद्यालय की सूची **<u>अनुबंध 'क'</u>** पर है ।

(ख) से (ङ): सरकार ने रक्षा मंत्रालय की सैनिक विद्यालय समिति के तत्वावधान में सीबीएसई अथवा अन्य किसी बोर्ड से सम्बद्ध वर्तमान/भावी विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के 100 नए विद्यालयों की स्थापना की पहल को स्वीकृति दी है । इन

विद्यालयों को राष्ट्रीय भावना के लोकाचार, चुनौतियों का सामना करने के लिए अदम्य साहस, देश और समाज के मूल्यों के प्रति वचनबद्धता हेतु प्रचूर सम्मान के विकास, शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को अंगीकार करने और राष्ट्रीय गौरव को मूर्त रूप देने के लिए एनजीओ/निजी विद्यालयों और राज्यों की साझेदारी के साथ स्थापित किया जाएगा । अनुमोदन के आधार पर सैनिक विद्यालय समिति, रक्षा मंत्रालय द्वारा वेब पोर्टल http://sainikschool.ncog.gov.in के माध्यम से सभी इच्छुक भागीदारों से आवेदन मांगें गए हैं । विद्यालयों को इस प्रयोजनार्थ तैयार अर्हकारी शर्तों की पूर्ति और उपनियमों के प्रति सहमत होने की इच्छा और सैनिक विद्यालय समिति के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के अधीन मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से शार्टलिस्ट किए जाएंगे । भारत सरकार स्वीकृत विद्यालय के लिए मेरिट-कम-मीन्स कक्षा की 50 प्रतिशत क्षमता तक के लिए 50 प्रतिशत शुल्क की (प्रति कक्षा प्रति वर्ष 50 विद्यार्थियों की अधिकतम सीमा के अधीन) वार्षिक सहायता (प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 40,000/- रु. की अधिकतम सीमा के अधीन) प्रदान करेगी ।

100 नए सैनिक विद्यालय खोलने की योजना सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के सभी निजी/एनजीओ/राज्य सरकार के विद्यालयों के लिए खुली है । सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकार को उनके अधिकार क्षेत्रों के अधीन किसी इच्छुक विद्यालय को वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन के लिए जागरूक करने और प्रोत्साहित करने की सूचना भेजी गई है ।

अनुबंध-क

'सैनिक स्कूल' के बारे में लोक सभा में दिनांक 04 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 637 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सैनिक विद्यालयों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान सैनिक विद्यालयों की संख्या
1	महाराष्ट्र	2
2	हरियाणा	2
3	पंजाब	1
4	गुजरात	1
5	राजस्थान	2
6	आंध्र प्रदेश	2
7	केरल	1
8	पश्चिम बंगाल	1
9	ओडिशा	2
10	तमिलनाडु	1
11	मध्य प्रदेश	1
12	झारखंड	1
13	कर्नाटक	2
14	असम	1
15	उत्तराखंड	1
16	जम्मू	1
17	मणिपुर	1
18	हिमाचल प्रदेश	1
19	बिहार	2
20	नागालैंड	1
21	छत्तीसगढ़	1
22	मिजोरम	1
23	अरूणाचल प्रदेश	1
24	उत्तर प्रदेश	3
देश में विद्यमान सैनिक विद्यालयों की कुल संख्या		**33**

****